कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/निस/70 भोपाल,दिनांक 29-1-2000

प्रति,

समस्त वन संरक्षक
मध्यप्रदेश ।

विषय :- वन सीमा पर सीमेन्ट के पक्के मुनारों का निर्माण कराने बाबत ।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय व्दारा याचिका क्रमांक 202/95 गोदावर्मन विरुद्ध भारत शासन एवं अन्य के अन्तर्गत दायरा याचिका क्रमांक 224/97 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय व्दारा श्री एम0के0 शर्मा,अपर महानिरीक्षक वन भारत सरकार की अध्यक्षता में नियुक्त समिति व्दारा मा0 न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में वन क्षेत्रों की सीमायें स्पष्ट नहीं हैं जिससे वन क्षेत्रों में अतिक्रमण अवैध उत्खनन की संभावना बढ़ती है ।

इस रिपोर्ट के संबंध में मा0 मुख्य सचिव,म0प्र0 शासन व्दारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर जबावदावा में शासन की ओर से यह प्रतिबद्धता दर्शायी गई है कि अगले 5 वर्ष में 32 करोड़ रुपये की लागत से वन क्षेत्र की सीमा पर पक्के मुनारे बनाये जायेंगे।

शासन की इस बचनबद्धता के प्रतिफल चालू वित्तीय वर्ष में शासन व्दारा 4 करोड़ रुपये की राशि सीमा मुनारों के निर्माण हेतु आवंटित की गई है तथा इस राशि को व्यय करने की अनुमति भी वित्त विभाग व्दारा दी गई है ।

इस वर्ष मुनारा निर्माण हेतु उन वृत्तों को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है जहां अतिक्रमण तथा अवैध उत्खनन की संभावनायें अधिक रहती हैं ।

तद्नुसार वृत्त वार वित्तीय आवंटन संलग्न प्रपत्र में दर्शाये अनुसार किया जाता है ।

वन संरक्षक इस वित्तीय आवंटन का अपने वनमंडलों में अतिक्रमण/अवैध उत्खनन की संवेदनशीलता के अनुसार आवंटन करेंगे ।

कृपया यह सुनिश्चित करे कि यह राशि इसी वित्तीय वर्ष में आवश्यकं रुप से व्यय हो जाय अन्यथा यह सर्वोच्च न्यायालय को दी गई प्रतिबद्धता का उल्लंघन होगा ।

मुनारों के निर्माण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :--

1- मुनारे बाहरी ब्लाक की सीमा पर बनाये जायेंगे अर्थात इस वर्ष उन ब्लाकों का चयन किया जाय जो वनों के बाहरी भाग अर्थात् राजस्व व निजी भूमि से लगे हैं । अन्दर के ब्लाकों के मुनारों का कार्य अगले वर्षो में किया जाय ।

2- जिन वन खंडो में मुनारे बनाये जारहे हैं उनमें संपूर्ण वन खंड में मुनारे निर्माण किये जायं ।

3- वन क्षेत्रों की सही सीमा का सर्वे किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण व आवश्यक है सीमा लाइन का निर्धारण कार्य आयोजना के नक्शों,आर0एम0के0 ब्लाक मैप(जहां मैप उपलब्ध हों) तथा भू सर्वेक्षण एवं सीमांकन इकाइयों व्दारा बनाये गये ब्लाक नक्शों के अनुसार किया जाय ।

इस कार्य हेतु प्रत्येक वन मंडल में सर्वे डिमार्केशन में निपुण वन कर्मियो की ड्युटी लगाई जांय तथा यदि आवश्यक हो तो इस हेतु उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाय ।

सर्वे पार्टियों व्दारा सीमा लाइन का निर्धारण किये जाने के पश्चात् उसका निरीक्षण वन परिक्षेत्र अधिकारी तथा उप वनमंडलाधिकारी व्दारा किया जायेगा और उनके व्दारा निर्धारित सीमा रेखा को सही प्रमाणित करने के पश्चात् ही उस सीमा पर मुनारे का निर्माण किया जायेगा ।

चूँकि पूरा कार्य इसी वित्तीय वर्ष में समाप्त होना है अतः जिन वनमंडलों में कार्य होना है उनके वनमंडलाधिकारी कार्यभार के अनुसार सर्वे पार्टियों की संख्या निर्धारित करेंगे और यदि उनके वनमंडल में पर्याप्त स्टाफ न हो तो वनसंरक्षक अन्य वनमंडलों से अथवा कार्य आयोजना वृत्त के वन संरक्षक से समन्वय कर सर्वे पार्टी हेतु कर्मचारियों की डियुटी लगवायेंगे ।

वनमंडलाधिकारी 25 प्रतिशत सीमा लाइन का निरीक्षण स्वयं कर सुनिश्चित करेंगे कि वन सीमा लाइन सही तरीके से निर्धारित की गई है ।

वन संरक्षक भी क्षेत्र में गहन दौरा कर अटरंडम तरीके से सीमा लाइन की चेकिंग करेगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीमा लाइन के निर्धारण में कोई त्रुटि नही हो रही है ।

सीमा लाइन निर्धारण के संबंध में सर्वे पार्टी के प्रभारी संबंधी परिक्षेत्र अधिकारी तथा उप वनमंडलाधिकारी व्दारा इस आशय का प्रमाण पत्र देगे कि अमुक ब्लाक की सीमा लाइन का निर्धारण उनके व्दारा किया गया है जो नक्शें तथा अभिलेखों के अनुसार सही है । वनमंडलाधिकारी ऐसे समस्त ब्लाकों के संबंध में इस आशय के प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और उन्हें प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे ।

4- मुनारों का निर्माण पत्थर के खड्डो (जुडाई का पत्थर) से किया जायेगा । मुनारों के अन्दर भी पक्की व पूरी चुनाई की जायेगी अर्थात् मुनारों के अंदर लूज बोल्डर व पत्थर न डालकर पूरा मुनारा चुनाई व्दारा तैयार किया जायगा क्योकि लूज बोल्डर डालकर बनाये गये मुनारे 1-2 वर्षात् में गिरने लगते हैं ।

5- मुनारों की डिजाइन तथा मुनारे के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री का विवरण आदि संलग्न है । इसी अनुसार मुनारे बनाये जांय ।

मुनारे का प्राक्कलन

विवरण:

1-	मुनारे की जमीन सतह से उँचाई -	1.00 मीटर
2-	मुनारे की जमीन में गहराई -	20 से0मी0 से 30 से0मी0(औसतन)
3-	अत: मुनारे की कुल उँचाई-	1.20 से 1.30 मीटर
4-	मुनारे की उपरी सतह पर नाम-	80 से0मी0×80 से0मी0 (चौकोर)
5-	मुनारेकी नीव सतह पर नाप-	1.2 मी0 × 1.2 मी0 (चौकोर)
	कार्य (मसोनरी की गणना)	
1-	उपरी सतह पर क्षेत्रफल =	ए1
		0.9 0.8 वर्ग मीटर
		0.64 वर्ग मीटर
2-	नीव सतह पर क्षेत्रफल =	ए2
		1.2 1.2 वर्ग मीटर
		1.44 वर्गमीटर
3-	आयतन =	एच/3 (ए1 + ए2 + $\sqrt{ए1ए2}$)
		जहां एच- कुल उचाई
		ए1- उपरी सतह पर क्षेत्रफल
		ए 2-नीव सतह पर क्षेत्रफल
अत: आयतन =		1.2/3(0.64 + 1.44+ $\sqrt{0.64 \quad 1.44}$)
		1.216 घनमीटर

सामग्री व्यय (औसतन)

पत्थर= 1.216 घनमीटर या 150 नग(8"x 8"x 8" साइज के)

सीमेन्ट=2.5 बोरी

रेत= 13 घनफुट

6- अनुमान है कि एक मुनारे के निर्माण पर औसतन 800 रु0 का व्यय आयेगा यह व्यय पत्थर, पानी आदि की उपलब्धता के आधार पर कहीं कम या ज्यादा होगा किन्तु औसतन 800 रुपये में काम हो जायेगा । वनमंडलाधिकारी इस सीमा के अर्न्तगत अपने क्षेत्र में उपलब्ध परिस्थितियों के अनुसार दर निर्धारण करेंगे और यदि कही इस सीमा में काम होने में कठिनाई हो तो इस कार्यालय को अवगत करायेगे ।

मुनारे वन जाने के पश्चात् उस पर सीमेन्ट का प्लास्टर नहीं किया जायेगा खंडो की सीमेन्ट से जुड़ाई कर टीप भरना ही पर्याप्त होगा किन्तु मुनारे के ऊपर भाग पर प्लास्टर कर दिया जाय ताकि मुनारे के अन्दर पानी न जाय ।

मुनारे के चारो ओर लगभग एक फुट दूरी तक गोला बनाकर उसमें 2-3 किलो नमक डालकर उसे मिट्टी से ढक दिया जाय इससे मुनारे के चारों ओर घास नहीं उगेगी और यदि कोई मुनारे तोड़ने का प्रयास करेगा तो वह स्थान स्पष्ट दिख जायेगा ।

7- मुनारे का निर्माण व उन पर नं0 कार्य आयोजना के नक्शों में दर्शाये अनुसार किया जायेगा ।

8- मुनारे के निर्माण कार्य का निरीक्षण श्री एम0के0 शर्मा समिति व्दारा किया जायेगा अतः यह आवश्यक है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट हो तथा सीमा लाइन बिल्कुल सही हो अतः यह कार्य पूरी सतर्कता व सावधानी के साथ किया जाय ।

9- निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री की क्वालिटी के साथ-साथ पानी से तराई का विशेष महत्व होता है । यदि पानी से तराई अच्छी तरह हो जाय तो निश्चित ही निर्माण कार्य सुदृढ और टिकाऊ होगा अतः मुनारे की तराई का विशेष ध्यान रखा जाय ।

10- मुनारे के पार्श्व भाग में वानिकी से संबंधित नारे लिखवाये जांय । ऐसे कुछ नारों की सूची संलग्न है ।

11- कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार मुनारा निर्माण कार्य पूरा कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजें । यदि इस संबंध में कोई कठिनाई अथवा संशय हो तो मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) अथवा मुझसे संपर्क कर निराकरण करायें ।

सहपत्र - उपरोक्तानुसार

29/1

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृ0क्रमांक/निस/ 71 भोपाल,दिनांक 29-1-2000

प्रतिलिपि:-

समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया आपके दौरे के समय उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

233+234

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0भोपाल

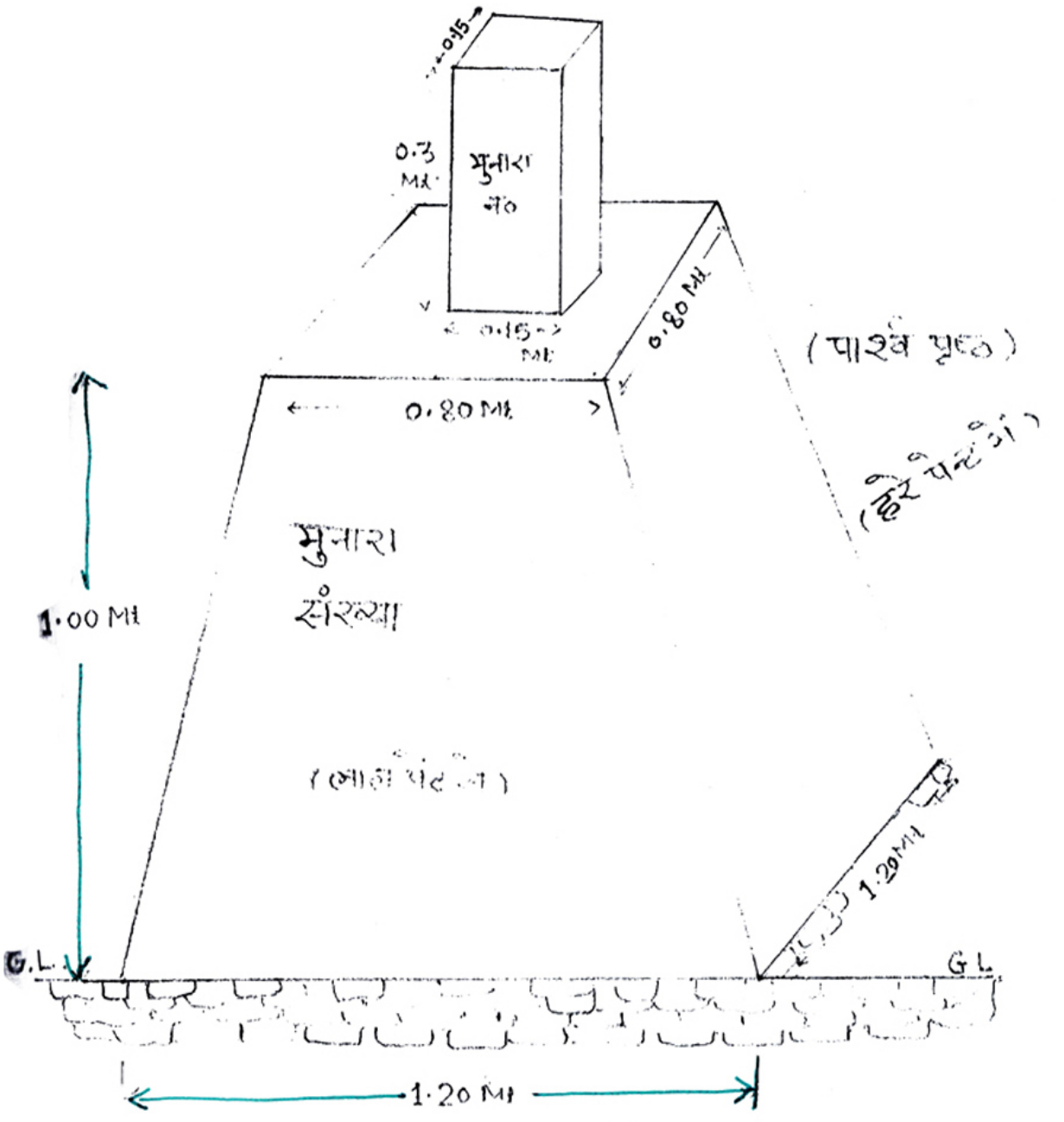

(प्रस्तावित मुनारा का नाप)